

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक- एफ 16-62/2015/पी-2/31  
प्रति,

भोपाल, दिनांक .....

मुख्य अभियंता,  
धसान केन कछार,  
जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)

विषय:- संयुक्त विभागीय जांच विरुद्ध श्री अखिल वार्ष्णेय, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग पन्ना एवं 02 अन्य।


संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1643/सा./पन्ना/नि-137/का 14-15 दिनांक 28/10/2020

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

विषयांकित प्रकरण में ठेकेदार से कुल देयक राशि रुपये 36,09,968/- में से 90 प्रतिशत राशि अर्थात् रुपये 32,48,971/- ठेकेदार से वसूल किया जाना है।

उपरोक्त के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 24/09/2020 एवं 23/10/2020 द्वारा संभाग अंतर्गत ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्यों के शेष राशि की जानकारी चाही गयी थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यालय: कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के पत्र क्र. 2186/व.ले.लि./2020-21 दिनांक 24/10/2020 जो अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल छतरपुर को संबोधित है, में संभाग पबई अंतर्गत रंगोली तालाब एवं बोरानाला तालाब के कार्यों की राशि रुपये 7,57,735/- विभाग में जमा होने का लेख किया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में <sup>कृपया</sup> ठेकेदार की उक्त राशि को तत्काल राजसात/समायोजित कराकर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

  
(प्रमोद-कुमार खरे) 7/11/20  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक ...11.11.2020

पृ.क्र. एफ 16-62/2015/पी-2/31

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।

✓ 2. वेब मैनेजर (कार्यपालन यंत्री), कार्यालय: प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल  
की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव 7/11/20  
मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग